इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 459] भोपाल, सोमवार, दिनांक 10 अक्टूबर 2011—आश्विन 18, शक 1933

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2011

क्र. एफ 10-13/2011/4/पच्चीस.— राज्य शासन, एतदद्वारा महर्षि बाल्मीकी की स्मृति में अनुसूचित जाति समुदाय के क्षेत्रों में समाज सेवा का उत्कृष्ट कार्य करने वाले बाल्मीकी जाति के समाज सेवक / समाज सेवकों को पुरस्कृत करने के लिये, ''**मध्यप्रदेश महर्षि बाल्मीकी स्मृति पुरस्कार**'' स्थापित करता है, तथा उसके संलग्न नियम बनाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तबस्सुम जैदी, उपसचिव.

मध्यप्रदेश महर्षि बाल्मीकि स्मृति पुरस्कार नियम, 2011

प्रस्तावना एवं उद्देश्य :– प्रदेश में, अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से राज्य शासन विभिन्न योजनाएं संचालित कर रहा है। निजी व्यक्तियों द्वारा समाज सेवा में योगदान को प्रोत्साहित करने, उन्हें मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से प्रदेश के, निवासियों को एक राज्य स्तरीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। अनुसूचित जाति वर्ग समाज में महर्षि बाल्मीकि की प्रतिष्ठा आत्मोत्थानकारी समाज सेवक के रूप में है, इस वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक उत्थान की दिशा में उन्होंने महती योगदान दिया है। अनुसूचित जाति वर्ग की सेवा के लिए इस राज्य स्तरीय पुरस्कार का नाम "मध्यप्रदेश महर्षि बाल्मीकि स्मृति पुरस्कार" रखा जाना सर्वथा उपयुक्त है।

पुरस्कार के विनियमन एवं प्रकिया के निर्धारण हेतु निम्नानुसार नियम बनाये जाते है

1– **नाम एवं व्याप्ति :–** इन नियमों का संक्षिप्त नाम **"मध्यप्रदेश महर्षि बाल्मीकि स्मृति पुरस्कार"** नियम, 2011 है। ये नियम संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में, शासन द्वारा राजपत्र में निर्दिष्ट दिनांक से प्रभावशील होंगे।

2– (अ) "अनुसूचित जाति वर्ग" से तात्पर्य मध्यप्रदेश के लिये घोषित संलग्न परिशिष्ट–। में उल्लिखित अनुसूचित जाति वर्ग की जातियों से है। बाल्मीकि जाति का अभिप्राय उक्त सूची के क्रमांक 11 में दर्शित बाल्मीकि जाति से है।

(ब) "मध्यप्रदेश के निवासियों" से तात्पर्य मध्यप्रदेश शासन द्वारा मूल निवासियों की पात्रता हेतु निर्धारित शर्तो की पूर्ति करने वाले व्यक्ति से है।

(स) 'जूरी' से तात्पर्य इन नियमों के नियम 4 के अंतर्गत गठित निर्णायक मण्डल से है।

3– **पुरस्कारों का स्वरूप :–** "मध्यप्रदेश महर्षि बाल्मीकि स्मृति पुरस्कार" के अन्तर्गत एक लाख रूपये नगद एवं पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह से युक्त प्रशंसा पट्टिका प्रदान की जाएगी। पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति के हितों में उत्कृष्ट कार्य/सेवा करने वाले बाल्मीकि समाज के समाज सेवकों को हर वर्ष

राज्य शासन व्दारा नियुक्त जूरी की ओर से चयन करने पर दिया जावेगा। उक्त पुरस्कार की नगद राशि एकाधिक व्यक्तियों के मध्य विभाजित भी की जा सकती है।

4— **जूरी का गठन** :— राज्य शासन समन्वय में माननीय मंत्री जी, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के आदेश/अनुमोदन से जूरी का गठन कर सकेगा। जूरी का, निम्नानुसार सदस्य सम्मिलित कर गठन किया जा सकेगा :—

1. माननीय मंत्री जी अनुसूचित जाति कल्याण विभाग —अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जाति आयोग —सदस्य
3. प्रमुख सचिव/सचिव मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग —सदस्य
4. अनुसूचित जाति वर्ग के सर्वांगीण विकास एवं सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में महती भूमिका निभाने वाले कोई तीन सदस्य, जिसमें एक महिला सदस्य अनिवार्य होगी जिनका चयन माननीय मंत्री जी के अनुमोदन से किया जाकर जूरी में सम्मिलित किया जा सकेगा। —तीन सदस्य
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास —सदस्य सचिव

5— **जूरी की शक्तियां** :—

(1) प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये अलग—अलग जूरी गठित की जावेगी।

(2) जूरी द्वारा किया गया चयन अंतिम एवं शासन के लिए बंधनकारी होगा।

(3) पुरस्कार के चयन के संबंध में कोई आपत्ति अथवा अपील स्वीकार नहीं की जावेगी।

(4) संबंधित पुरस्कार वर्ष के लिये प्राप्त प्रविष्टियों के अलावा भी जूरी अपने स्वविवेक से ऐसे किसी नाम/किन्हीं नामों पर विचार कर सकेगी जिन्हें वह पुरस्कारों के उद्देश्यों के अनुरूप पाए।

(5) सामान्यतः प्रत्येक वर्ष के पुरस्कार के लिये एक ही समाजसेवी का चयन होगा, किन्तु जूरी यदि आवश्यक समझे तो वह एक पुरस्कार के लिए एकाधिक समाजसेवियों को संयुक्त रूप से राशि प्रदान कर सकेगी।

(6) जूरी की बैठक का संपूर्ण कार्यवाही विवरण गोपनीय रहेगा एवं उसके द्वारा सर्वानुमति से की गई लिखित अनुशंसा के अलावा बैठक के दौरान हुए विचार—विमर्श का कोई लिखित अभिलेख नहीं रखा जावेगा।

(7) जूरी के माननीय सदस्यों को चयन प्रकिया के लिये आमंत्रित किये जाने पर उन्हें राज्य के वरिष्ठ अधिकारी ग्रेड—ए के समकक्ष श्रेणी में यात्रा करने तथा भत्ता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त होगा। जूरी के सदस्य को वायुयान से यात्रा करने एवं यात्रा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार रहेगा।

6. **चयन की प्रकिया** :— पुरस्कारों के लिये उपयुक्त समाजसेवियों के चयन की प्रकिया निम्नानुसार रहेगी :—

(1) जिस वर्ष के लिये पुरस्कार प्रदान किया जाना है, उस वर्ष की प्रविष्टियां आमंत्रित करने हेतु आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास द्वारा अप्रैल माह में प्रमुख राष्ट्रीय और प्रादेशिक समाचार—पत्रों/पत्रिका में राज्य शासन (अनुसूचित जाति कल्याण विभाग) की ओर से परिशिष्ट दर्शित प्रारूप में विज्ञापन प्रकाशित कराया जावेगा। प्रविष्टियां प्रस्तुत/प्रेषित करने के लिये कम से कम एक महीने का समय दिया जावेगा, निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियां विचार के लिये मान्य नहीं की जावेंगी, परन्तु विज्ञप्ति जारी करने आदि के समय में राज्य शासन आवश्यक होने पर परिवर्तन कर सकेगा।

(2) प्रविष्टियां समाजसेवी द्वारा स्वयं अथवा उनकी ओर से कला एवं साहित्य में इनके योगदान से सुपरिचित व्यक्ति द्वारा राज्य शासन को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत की जा सकेंगी :—

(क) सामाजिक कार्यकर्ता का पूर्ण परिचय।

(ख) निर्दिष्ट अनुसूचित जाति वर्गों के उत्थान के लिये उनके द्वारा किये गये रचनात्मक कार्यो की विस्तृत जानकारी।

(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार मिला हो, तो उसका विवरण।

(घ) उत्कृष्ट रचनात्मक कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ हो तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रत्येक प्रतिवेदन की एक–एक प्रतिलिपि।

(ङ) समाज सेवा के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र–पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियों की फोटो प्रतियां, सत्य प्रतिलिपियां।

(च) चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के बारे में संबंधित समाज सेवक की सहमति।

(3) (अ) एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां तीन वर्ष तक विचारणीय होंगी। विचारणीय तीन वर्ष में संबंधित सेवा के लिये नई प्रविष्टियां देना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु उपनियम (1) में प्रविष्टियां प्रस्तुत करने हेतु निहित अवधि में संबंधित समाज सेवक या उसका कोई प्रवक्ता यदि पूरक या अतिरिक्त विषयवस्तु विचारार्थ प्रस्तुत करना चाहें तो समय–सीमा में प्राप्त इस प्रकार की पूरक अथवा अतिरिक्त विषयवस्तु विचारार्थ ग्राह्य होगी।

(ब) एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित समाज सेवक का सेवा कार्य पुरस्कार के योग्य नहीं है। निर्धारित मापदंडों की पूर्ति करने वाले ऐसे समाज सेवक जिनका तीन वर्षो की विचारणीय अवधि में पुरस्कार के लिये चयन नहीं हो सका है, पश्चात्‌वर्ती वर्षो में पुनः प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे।

(4) प्रविष्टि में अंतर्निहित तथ्यों/जानकारी के अलावा/किसी अन्य पश्चात्‌वर्ती पत्र व्यवहार पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(5) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का रहेगा, इस मामले में राज्य शासन किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा, परन्तु राज्य शासन को, जहां वह आवश्यक समझे, अपने सूत्रों से, दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कराने का अधिकार होगा।

(6) निर्धारित तिथि तक प्राप्त समस्त प्रविष्टियों को, प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में संबंधित पुरस्कार वर्ष की पंजी में निम्नांकित प्रपत्र में पंजीकृत किया जावेगा :–

पंजीयन कमांक	समाज सेवक का नाम तथा पता	प्रविष्टि प्रस्तुतकर्ता का नाम एवं पता	प्राप्त कागजातों के कुल पृष्ठों की संख्या	अन्य विवरण
1	2	3	4	5

(7) पंजीयन के पश्चात्‌ आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत प्रत्येक प्रविष्टि के संबंध में जूरी की बैठक के लिये संक्षेपिका अधिकतम 15 दिवस की समयावधि में तैयार कर राज्य शासन को प्रस्तुत की जावेगी :–

1. समाज सेवक का नाम तथा पता
2. प्रस्तावक
3. समाज सेवक का संक्षिप्त परिचय
4. सेवाकार्य की उपलब्धियां

5. प्राप्त पुरस्कार/सम्मान
6. प्रमाण समितियां
7. रचनाएं/प्रकाशन
8. आत्म कथा (यदि कोई हो),
9. पुरस्कार ग्रहण करने के संबंध में सहमति

7— चयन के मापदण्ड :— पुरस्कारों के लिये उत्कृष्ट समाजसेवी/सेवियों के चयन हेतु निम्न मापदण्ड रहेंगे :—

(1) पुरस्कारों के लिये जूरी द्वारा ऐसे नागरिकों का चयन किया जावेगा, जो मध्यप्रदेश राज्य के निवासी हों, अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत बाल्मीकि समाज का हो एवं जिसने मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग की सेवा की हो।

(2) जूरी के अशासकीय सदस्य स्वयं अपने लिये उस वर्ष के पुरस्कार के लिये प्रविष्टि प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे, जिस वर्ष के पुरस्कार की जूरी के वे सदस्य हैं।

(3) शासकीय एवं अर्द्धशासकीय वेतन भोगी व्यक्ति पुरस्कार के लिये पात्र नहीं होंगे।

(4) सेवाकार्य मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग से ही संबंधित होना चाहिये।

(5) पुरस्कार के लिये भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के सेवाकार्यों का आकलन आवश्यक है और समाज सेवा के क्षेत्र में वर्तमान में भी सक्रिय रहना आवश्यक है।

(6) समाज सेवी को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग की दीर्घकालिक सेवा की है तथा वे अब भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं अर्थात् पुरस्कार केवल भूतकालिक सेवा उपलब्धियों के आधार पर ही प्रदान नहीं किए जाएंगे। सेवा के क्षेत्र में परिणाम मूलक निरन्तरता आवश्यक है।

(7) पुरस्कार चूंकि समाज सेवक के समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा, इसलिये सेवाकार्य में ऐसे व्यक्ति के पास एक व्यक्ति के रूप में किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होना चाहिये।

(8) सेवा के क्षेत्र में समाज सेवक का समग्र योगदान संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक रूप से परिलक्षित होना चाहिये।

(9) इस बाता पर विचार किया जाएगा कि परम्परागत तरीकों से अलग हटकर कला के क्षेत्र में नवाचर (New Method) अर्थात् नई पद्धति/नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है।

(10) किसी स्वैच्छिक संस्था से संबद्ध समाज सेवा के उसी कार्य को पुरस्कार के लिये विचार में लिया जावेगा जिस कार्य से समाजसेवा सीधे तौर पर जुड़ी हुई थी और अब भी है। संस्था की समस्त सेवा उपलब्धियों का समाजसेवी के हित में आंकलन नहीं होगा।

(11) आवेदक पर कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं हो तथा किसी अपराध में उसे कोई सजा नही हुयी हो ।

8— **पुरस्कारों की घोषणा** :— जूरी द्वारा जिन समाजसेवियों का चयन होगा, उनसे शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी। उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् ही राज्य शासन द्वारा राज्य पुरस्कार के लिये चयनित समाजसेवी/सेवकों के नामों की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

9— **अलंकरण समारोह** :— पुरस्कारों का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह शासन द्वारा प्रतिवर्ष महर्षि बाल्मीकि के सम्मान स्वरूप उनकी जयंती पर किया जावेगा। महर्षि बाल्मीकि स्मृति दिवस के लिये चयनित समाजसेवियों को राज्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जावेगा। विशेष परिस्थितियों में वे अपनी सहायता के लिये केवल एक सहायक साथ में ला सकेंगे, जिसे उन्हीं के साथ यात्रा करने एवं ठहरने की सुविधा प्राप्त होगी। समाजसेवी को शासन के वरिष्ठ स्तर के अधिकारी ग्रेड—ए के समकक्ष यात्रा की

पात्रता रेल से अथवा वायुयान से होगी एवं प्रथम श्रेणी अधिकारी ग्रेड–ए के समान यात्रा भत्ता पाने की पात्रता होगी।

10– **व्यय की संपूर्ति एवं वित्तीय शक्तियां** :– मध्यप्रदेश महर्षि वाल्मीकि स्मृति पुरस्कार एवं अलंकरण समारोह से संबंधित व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय की पूर्ति के लिये बजट में हर वर्ष समुचित वित्तीय प्रावधान रखा जावेगा एवं स्वीकृत पद

पर व्यय के पूर्ण अधिकार आयुक्त, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मध्यप्रदेश को होंगे। इस हेतु राज्य शासन की औपचारिक स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी।

11. **नियमों में संशोधन एवं परिवर्तन** :– राज्य शासन के अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को इन नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन एवं परिवर्तन करने का अधिकार होगा। इन नियमों में अंतर्निहित प्रावधानों के संबंध में प्रमुख सचिव, अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की व्याख्या अधिकृत और अंतिम मानी जावेगी। ऐसे मामलों के, जिनका नियमों में उल्लेख नहीं है निराकरण के अधिकार भी प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में वेष्ठित होंगे।

12. **पुरस्कार से संबंधित अभिलेखों का रख–रखाव** :– आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, मध्यप्रदेश प्रतिवर्ष के पुरस्कार की प्रविष्टियों, चयनित समाजसेवियों आदि का रिकार्ड वर्षवार अलग–अलग जिल्द में संधारित करेंगे। चयनित समाजसेवी के जीवन चरित्र, सेवाकार्य आदि के संबंध में समारोह के समय एक विवरणिका जारी की जावेगी जिसमें पुरस्कार के उद्देश्य, स्वरूप तथा पुरस्कार प्राप्त व्यक्ति/व्यक्तियों के अद्यतन विवरण दिये जावेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तबस्सुम जैदी, उपसचिव.

परिशिष्ट

विज्ञापन का प्रारूप

मध्यप्रदेश महर्षि वाल्मीकी स्मृति पुरस्कार वर्ष ....

मध्यप्रदेश में निवासरत अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के विकास और कल्याण तथा सामाजिक उत्थान के उद्देश्य से निजी व्यक्तियों द्वारा की गई समाज सेवा के योगदान को प्रोत्साहित करने, मान्यता देने एवं प्रतिष्ठा मंडित करने के उद्देश्य से राज्य शासन प्रदेश के निवासियों को अनुसूचित जाति वर्ग की सेवा के लिये राज्य स्तरीय पुरस्कार देगा। इस पुरस्कार हेतु शासकीय एवं अर्द्धशासकीय तथा दैनिक वेतन भोगी शासकीय सेवक पात्र नहीं होंगे।

1. **पुरस्कार का स्वरूप** :– अनुसूचित जाति वर्ग अंतर्गत वाल्मीकी समाज के एक समाज सेवक को राशि रूपये 1,00,000/– (रूपये एक लाख मात्र) नगद एवं पुरस्कार के प्रतीक चिन्ह स्वरूप प्रशंसा पटि्टका दी जावेगी। पुरस्कार मध्यप्रदेश राज्य के निवासी तथा राज्य में अनुसूचित जाति के हितों में उत्कृष्ट कार्य/सेवा करने वाले वाल्मीकी समाज के एक समाज सेवक को हर वर्ष राज्य शासन द्वारा नियुक्त जूरी की ओर से चयन करने पर दिया जावेगा। शासन का निर्णय अंतिम होगा। एक व्यक्ति को एक ही बार यह पुरस्कार दिया जावेगा। यदि जूरी किसी वर्ष विशेष में किसी को उपयुक्त नहीं पाती है तो किसी को भी यह पुरस्कार नहीं दिया जावेगा। पुरस्कार उक्त राशि की सीमा में संयुक्त रूप से भी दिया जा सकेगा। यदि जूरी एक से अधिक व्यक्ति को पुरस्कार देने का निर्णय करती है तो शासन उसे मान्य कर सकेगा।

2. **आवेदन पत्र** :–आवेदन पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख किया जावे कि आवेदक समाज सेवक है एवं अनुसूचित जाति वर्ग के अंतर्गत वाल्मीकी समाज से है। पुरस्कार के लिये प्रतिष्ठित समाज सेवक द्वारा स्वयं अथवा उनकी ओर से उनके सेवाकाल से सुपरिचित व्यक्ति अथवा संगठन द्वारा आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास–35,राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल मध्यप्रदेश को निम्नांकित अपेक्षाओं की पूर्ति करते हुए प्रस्तुत करेंगे :–

(क) समाज सेवक का पूर्ण परिचय, उसके समग्र व्यक्तिगत योगदान का प्रामाणिक विवरण, मध्यप्रदेश के मूल निवासी एवं अनुसूचित जाति (वाल्मीकी समाज) का सदस्य होने से संबंधित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र, आवेदन पत्र में छायाप्रति के रूप में लगावें।

(ख) निर्दिष्ट अनुसूचित जाति वर्गों के उत्थान के लिये उनके द्वारा किये गये सेवा कार्यों की विस्तृत जानकारी, वर्तमान में की जा रही सेवाकार्य संबंधी जानकारी एवं उसके व्यापक प्रभाव की जानकारी।

(ग) यदि कोई अन्य पुरस्कार मिला हो, तो उसका विवरण भी लिखें।

(घ) उत्कृष्ट सेवा कार्य के विषय में कोई प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ है तो उसका विवरण एवं प्रकाशित प्रतिवेदन की एक–एक प्रतिलिपि।

(ङ) समाज सेवक द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में किये गये उत्कृष्ट कार्य के संबंध में प्रख्यात पत्र–पत्रिकाओं तथा संस्थाओं द्वारा की गई टिप्पणियां, सत्यापित फोटो प्रतियां, अशासकीय स्वैच्छिक संस्था से संबंद्ध समाजसेवी का वह कार्य–विवरण जिससे वह सीधे रूप से जुड़ा है। (इसमें संस्था के समग्र कार्य का समाज सेवी के हित में आंकलन नहीं होगा)।

(च) समाज सेवा के संबंध में इस पुरस्कार के अलावा अन्य पुरस्कार प्राप्त मध्यप्रदेश के निवासी तथा अनुसूचित जाति (वाल्मीकी समाज) के आवेदक अपना आवेदन दे सकेंगे।

(छ) चयन होने की दशा में पुरस्कार ग्रहण करने के संबंध में संबंधित समाज सेवक को लिखित सहमति देना होगा। जूरी के अशासकीय सदस्य अपना आवेदन उस वर्ष के लिये प्रस्तुत नहीं कर सकेंगे। जिस वर्ष के लिये वे जूरी के रूप में नामांकित हों।

(ज) (1) रचनात्मक सेवा कार्य मध्यप्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति वर्ग से ही संबंधित होना चाहिये।

(2) पुरस्कार के लिये भूतकालिक एवं वर्तमान दोनों प्रकार के रचनात्मक सेवा कार्यों का आकलन आवश्यक है और सेवा कार्य में समाज सेवक की सक्रियता वर्तमान में भी रहना आवश्यक है।

(3) समाज सेवी को इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने अनुसूचित जाति वर्ग की दीर्घकालिक सेवा की है तथा अब भी वे इस क्षेत्र में सक्रिय हैं अथवा पुरस्कार केवल भूतकालिक समाज सेवा कार्य की उपलब्धियों के आधार पर नहीं मिलेंगे। सेवा के क्षेत्र में परिमाण मूलक निरंतरता आवश्यक है।

(4) पुरस्कार चूंकि समाज सेवक को उनके समग्र योगदान के आधार पर दिया जावेगा, इसलिये सेवा कार्य में ऐसे व्यक्ति को एक व्यक्ति के रूप में किये गये योगदान के संबंध में पर्याप्त प्रमाण होने चाहिये।

(5) समाज सेवा के क्षेत्र में समाज सेवक के समग्र योगदान का संबंधित क्षेत्र/वर्ग में व्यापक प्रभाव परिलक्षित होना चाहिये।

(6) परंपरागत तरीकों से अलग हटकर समाज सेवा के क्षेत्र में नवाचार (new method) अर्थात् नयी पद्धति/नये क्षेत्र को किस सीमा तक और कितनी सघनता से अपनाया गया है, का भी ध्यान रखा जायेगा।

(7) किसी स्वैच्छिक संस्था से संबंध समाज सेवी के उसी कार्य को पुरस्कार के लिये विचार में लिया जावेगा जिस कार्य से समाज सेवी सीधे तौर पर जुड़े हुए थे और अब भी हैं। किसी संस्था की समस्त सेवा रचनात्मक कार्यों की उपलब्धियों का समाज सेवी के हित में आंकलन नहीं होगा।

3. पुरस्कार संबंधी प्रविष्टियां:–

(1) एक बार प्रस्तुत प्रविष्टियां तीन वर्ष तक विचारणीय होंगी। विचारणीय तीन वर्ष में संबंधित सेवा के लिये नई प्रविष्टियां देना आवश्यक नहीं होगा, किन्तु उपनियम (1) में प्रविष्टियां प्रस्तुत करने हेतु निहित अवधि में संबंधित समाजसेवक या उनके कोई प्रवक्ता यदि पूरक या अतिरिक्त विषय वस्तु प्रस्तुत करना चाहे तो समय–सीमा में प्राप्त इस प्रकार की पूरक अथवा अतिरिक्त विषयवस्तु विचारार्थ ग्राह्य होगी। एक बार चयन नहीं होने का अभिप्राय यह नहीं होगा कि संबंधित समाज सेवा कार्य पुरस्कार के योग्य नहीं है निर्धारित मापदण्डों की पूर्ति करने वाले ऐसे समाज सेवी जो तीन वर्षों की विचारणीय अवधि में पुरस्कार के लिये चयन नहीं हो सके हैं परवर्ती वर्षों में पुनः प्रविष्टि प्रस्तुत कर सकेंगे।

(2) प्रविष्टि में अर्न्तनिहित तथ्यों/जानकारी के अलावा अन्य पश्चात्वर्ती पत्र व्यवहार पर पुरस्कार के संबंध में कोई विचार नहीं किया जावेगा।

(3) प्रविष्टि में दिये गये तथ्यों/निष्कर्षों/प्रमाणों का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रविष्टिकर्ता का रहेगा, इस मामले में राज्य शासन/आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास किसी भी विवाद में पक्ष नहीं माना जावेगा, परन्तु राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि जहां आवश्यक समझे, अपने सूत्रों से दिये गये तथ्यों/प्रमाणों के संबंध में पुष्टि कर सकेंगे।

4. **पुरस्कारों की घोषणा :–** जूरी द्वारा जिन समाज सेवियों का चयन किया जावेगा, उनसे विभाग द्वारा निर्धारित समयावधि में औपचारिक सहमति प्राप्त की जावेगी। उनसे सहमति प्राप्त होने के पश्चात् राज्य शासन द्वारा राज्य पुरस्कार के लिये चयनित समाज सेवी/सेवियों के नामों की औपचारिक घोषणा की जावेगी।

5 **अलंकरण समारोह :–** पुरस्कार का राज्य स्तरीय अलंकरण समारोह की तिथि शासन द्वारा निर्धारित की जावेगी।

6 **आवेदन भेजने की समयावधि :–** मध्यप्रदेश महर्षि वाल्मीकी स्मृति पुरस्कार वर्ष............ के लिये समाज सेवी अपनी प्रविष्टियां दिनाँक .... तक आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, 35–राजीव गांधी भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल को प्रस्तुत करेंगे। प्रविष्टि लिफाफे पर **"मध्यप्रदेश महर्षि वाल्मीकी स्मृति पुरस्कार वर्ष ...."** अंकित होना चाहिये। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त प्रविष्टियों पर जूरी द्वारा विचार नहीं किया जावेगा।

आयुक्त
अनुसूचित जाति विकास
मध्यप्रदेश

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.